प्रेषक–

निःशुल्क प्रकाशनार्थ

रमेश सिंह
प्रभारी/प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय
आजमगढ।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी/सदस्य
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय, आजमगढ़।

पत्रांक १/ पारिवारिक न्यायालय दिनांकित

विषय– कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम,१९८४के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियमावली,१९९५ के नियम २६(१)के अन्तर्गत एक अन्य परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराने के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

महानिबन्धक,माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक ६२२१/एडमिन जी–।/२०१९,इलाहाबाद दिनांकित १४.०५.२०१९ व विशेष सचिव एवं विधि परामर्श,उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के संख्या १०२/सात–न्याय–२–२०१५–७२८/८६,न्याय अनुभाग–२(अधीनस्थ न्यायालय)लखनऊ दिनांकित १८ जून,२०१५ के निर्देशानुसार व उपर्युक्त विषयक महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं० १४५८३/२००८/एडमिन "जी०आई०" दिनांक १९.११.२००८ के साथ प्राप्त गाईड लाइन्स के सन्दर्भ में मा० महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त कर गाईड लाइन्स के बिन्दु सं०–५ एवं ७ में शासनादेश दिनांक १६.०४.२०१४ द्वारा सूक्ष्म संशोधन के आदेश किये जा चुके हैं।तदनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश सं० १५४२/ सात–न्याय–२–२००१–७२८/८६,दिनांक २० नवम्बर,२००१ को निरस्त करते हुये प्रदेश में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों की सहायता हेतु परामर्शदाताओं को आबद्धता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी है–

१–अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र दिनांक ०३.०६.२०१९ तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, आजमगढ़ में प्रस्तुत किया जाना है।

२–यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिसे से सम्बन्धित हो,जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।

३–शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेयगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिक्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो।इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिक्री धारक है और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हे दो वर्ष का अनुभव है,उन्हें वरीयता दी जायेगी।

४–विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु ३५ से ६५ वर्ष के बीच होनी चाहिये।

५–आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

६–राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाता की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं

बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

७–परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में मा०उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगा। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगा।

८–परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर ०३ वर्ष के लिये उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता हे।

९–परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी ओर वह न्यायालय के संविदा के आधार पर आबद्ध रहेगें।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें ताकि इच्छुक व्यक्ति अपना–अपना आवेदन पत्र दिनांक ०३.०६.२०१९ तक प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय,आजमगढ़ में प्रस्तुत कर सकें।

सधन्यवाद।

भवदीय,

दि०–२१.०५.२०१९

(रमेश सिंह)
प्रभारी/प्रधान न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
आजमगढ़।

एक –एक प्रति निम्नलिखित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु निम्नलिखित को प्रेषित–

१–कार्यालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय,आजमगढ।
२–नजारत अनुभाग, दीवानी न्यायालय, आजमगढ़।
३– अध्यक्ष/ मंत्री,दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ़।
४–अध्यक्ष/ मंत्री,जिला अभिभाषक संघ, कलेक्ट्रेट,आजमगढ़।
५–अध्यक्ष/ मंत्री,कमिश्नरी बार एशोसिएशन, आजमगढ़।
६–अध्यक्ष/ मंत्री,समस्त तहसील, सगड़ी,लालगंज,फूलपुर, बूढ़नपुर, निजामाबाद, मेहनगर, सदर।
७–कार्यालय, जिलाधिकारी, आजमगढ़।
८–सम्बन्धित गार्ड फाईल हेतु।

भवदीय,

दि०२१.०५.२०१९

21.05.2019

प्रभारी/प्रधान न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
आजमगढ़।